

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2023

का.आ. 1222(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, -

- (क) विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसे टेलीविजनों के सिवाय, जिनमें नॉन-रिमूवेबल मुख्य बैटरी वाले और कंप्यूटर मॉनिटर सम्मिलित हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बैकलाइटिंग, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, क्वांटम डॉट्स लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, माइक्रो-लाइट एमिटिंग डायोड माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के लिए 4K प्रौद्योगिकी के 3840 x 2160 पिक्सल के नेटिव रिज़ोल्यूशन वाले अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन, जो 250 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज तक की वोल्टेज पर केवल बाहरी विद्युत आपूर्ति द्वारा संचालित किए जा सकते हैं, लेबल पर विशिष्टियां संप्रदर्शित करेंगे; और
- (ख) निदेशित करती है कि भारत में विनिर्मित किए, व्यावसायिक रूप से खरीदे, आयात किए या विक्रीत किए जा रहे साधित्र या साधित्रों के वर्ग के लेबल पर विशिष्टियां, भारत के राजपत्र आसाधारण भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशित सं. बीईई/एसएंडएल/यूएचडी/02/2022-23 के अनुसार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रीति से संप्रदर्शित किए जाएंगे।

[फा. सं. 10/2/2022-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2023

S.O. 1222(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby,-

- (a) specifies that the Ultra-High Definition televisions with native resolution of 3840 x 2160 pixels of 4K technology for Liquid Crystal Display with Light Emitting Diode back lighting, Organic Light Emitting Diode displays, Quantum dot Light Emitting Diode displays, Micro-LED displays which can be powered only by an external power supply at a voltage not exceeding 250 V ac, 50 Hz, excluding televisions that includes a non-removable main battery and computer monitors, shall display particulars on label; and
- (b) directs that any appliance or class of appliances being manufactured, commercially purchased, imported or sold in India shall display the particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra-High Definition Televisions) Regulation, 2023, vide No. BEE/S&L/UHD/02/2022-23 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii).

[F. No. 10/2/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.